

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

SECONDARY  
Order No. 01

क्रमांक:प.14(4)शिक्षा-1/जिला कोटा/2014

जयपुर, दि 20/10/14

आदेश

इस विभाग के आदेश संख्या: प.14(4)शिक्षा-1/जिला कोटा /2014 दिनांक 14.8.2014 के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक विद्यालयों में अन्य राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक/उच्च प्राथमिक/ प्राथमिक विद्यालय समन्वित करते हुये आदर्श विद्यालयों का गठन किया गया था। इसके पश्चात् विभिन्न स्तरों यथा-राज्य सरकार, जिला कलक्टर, जिला शिक्षा अधिकारियों को आदर्श विद्यालयों के संबंध में प्राप्त शिकायतों/परिवेदनाओं का विस्तृत रूप से परीक्षण किया गया। परीक्षण करने के उपरान्त यह पाया गया कि कुछ विद्यालय ऐसे हैं, जिन्हें विभिन्न कारणों से पृथक किये जाने आवश्यक हैं। परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित सूची के कॉलम संख्या 6 में वर्णित विद्यालयों को समन्वयन से पृथक कर यथावत संचालन किये जाने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है:-

पंचायत समिति का नाम : सांगोद

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	राजस्थान ग्राम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	मोईकला	भोजपुरा माताजी	राउमावि मोईकला	1. राप्रावि मोईकला 2. राप्रावि भोजपुरा माताजी	राप्रावि भोजपुरा माताजी	दोनों के मध्य मेगा हाईवे होने के कारण
2	कनवास	कनवास	राउमावि कनवास	1. राउप्रावि कनवास 2. राप्रावि इन्द्रा कोलोनी कनवास	राप्रावि इन्द्रा कोलोनी कनवास	मध्य अरुण नदी होने के कारण
3	हीगी	हीगी	रामावि हीगी	1. राप्रावि हीगी 2. राप्राविएससीबरती हीगी	राप्रावि एससी बस्ती हीगी	सांगोद खानपुर मार्ग मध्य में होने के कारण

नगर निगम कोटा


क्र.सं.	नगर निगम	नगर निगम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	7
1	कोटा	कोटा	राउमावि गुमानपुरा	राउप्रावि गुमानपुरा राउप्रावि सिन्धी बल्लभनगर	राउप्रावि सिन्धी बल्लभनगर	दोनों विद्यालयों के मध्य में मुख्य सड़क मार्ग
2	कोटा	कोटा	राउमावि कुन्हाडी	राउप्रावि कुन्हाडी राप्रावि पीर बाबा की मजार	राप्रावि पीर बाबा की मजार	नेशनल हाइवे 76 होने से
3	कोटा	कोटा	राउमावि रामपुरा	1. राउप्रावि धानमण्डी समाध 2. राउप्रावि रामपुरा	राउप्रावि धानमण्डी समाध	पर्याप्त भवन एवं छात्र पर्याप्त संख्या होने से
4	कोटा	कोटा	राउमावि केशवपुरा आवासन मण्डल	1. रामावि सन्तोषी नगर 2. राप्रावि केशवपुरा	रामावि सन्तोषी नगर	बीच में मुख्य सड़क

रामावि



क्र.सं	नगर निगम	नगर निगम	आदर्श विद्यालय का नाम	समन्वित विद्यालय का नाम	समन्वय से पृथक किया जाकर यथावत संचालित किये जाने वाले विद्यालय का नाम	पृथक किये जाने का कारण
1	2	3	4	5	6	
5	कोटा	कोटा	राउमावि सिविल लाईन	1. राउमावि वोकेशनल 2. राप्रावि सिविल लाईन	राउमावि वोकेशनल	मुख्य सडक होने के कारण
6	कोटा	कोटा	राउमावि भीममण्डी	1. रामावि भीममण्डी -II 2. अजय आहुजा रामावि भीममण्डी कोटा	अजय आहुजा रामावि भीममण्डी कोटा	शहीद अजय आहुजा के नाम से विद्यालय होने के कारण
7	कोटा	कोटा	राबाउमावि सकतपुरा	1. राबाउप्रावि थर्मल कोलोनी 2. राबाप्रावि कसतपुरा	राबाउप्रावि थर्मल कोलोनी	दोनों विद्यालय की दूरी 02 किमी से ज्यादा होने के कारण
8	कोटा	कोटा	रामावि छावनी	राउप्रावि छावनी नवीन राउप्रावि रामचन्द्रपुरा छावनी	राउप्रावि रामचन्द्रपुरा छावनी	पर्याप्त भवन एवं नामांकन
9	कोटा	कोटा	रामावि पाटनपोल	1. रामावि बृजराजपुरा 2. राप्रावि वन्दरघटा	रामावि बृजराजपुरा	पर्याप्त भवन एवं नामांकन
10	कोटा	कोटा	रामावि सुरजपोल	1. राउप्रावि बेसिक मोडल 2. राप्रावि श्रीपुरा	राउप्रावि बेसिक मोडल	पर्याप्त भवन एवं नामांकन

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

आज्ञा से  
  
 (अन्तर सिंह नेहरा)  
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सचिव-प्रथम, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय।
4. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
7. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा विभाग।
8. शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग।
9. आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
10. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर।
11. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जयपुर।
12. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
13. संभागीय आयुक्त, संबंधित।
14. जिला कलक्टर, .....।
15. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा/प्रा.शि. (आयोजना)/शिक्षा (ग्रुप-2)।
16. शासन उप सचिव, तृतीय शिक्षा (ग्रुप-6)।
17. वरिष्ठ शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-5)।
18. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1)।
19. शिक्षा उप निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक, .....।
20. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक/माध्यमिक (प्रथम/द्वितीय), .....।
21. रक्षित पत्रावली।

  
 संयुक्त शासन सचिव